ए.

मैत्रेय दोशी

वी.

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड। AND ANDR। (2021 की सिविल अपील संख्या 6613)

22 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016-ss.7, 62 – कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया-प्रत्यर्थी संख्या 1, एक एनबीएफसी-वित्तीय लेनदार ने मेसर्स प्रीमियर लिमिटेड को 6 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया-दोशी होल्डिंग्स ने ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में वित्तीय लेनदार के पक्ष में प्रीमियर में अपने शेयरों को गिरवी रखा-प्रीमियर पुनर्भुगतान करने में विफल रहा-वित्तीय लेनदार ने प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स से पूरी बकाया ऋण राशि का भुगतान करने का आह्वान किया-प्रीमियर ने स्वीकार किया और अपने बकाया बकाया का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वह वास्तविक कठिनाई के कारण इसका भुगतान नहीं कर सका-वित्तीय लेनदार ने यू/एस में याचिका दायर की।7 पुनर्भुगतान में चूक के लिए प्रीमियर के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए-उसी दिन, वित्तीय लेनदार ने दोशी होल्डिंग्स यू/एस के खिलाफ एक याचिका भी दायर की।7 उसी दावे के संबंध में, उसी ऋण दस्तावेजों के आधार पर-एन. सी. एल. टी. ने याचिकाओं को स्वीकार किया-एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. द्वारा याचिकाओं को स्वीकार करने के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों को प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स दोनों द्वारा निष्पादित किया गया था और दोशी होल्डिंग्स को समझौते में उधारकर्ता और गिरवीदार के रूप में संदर्भित किया गया है-एनसीएलएटी द्वारा दी गई व्याख्या कि दोशी होल्डिंग्स एक उधारकर्ता है, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय व्याख्या है जिसे एस के तहत अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।62 आई. बी. सी. का-एक गिरवीदार अपने आप में एक वित्तीय देनदार नहीं हो सकता है, लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा कि दिशा होल्डिंग्स एक उधारकर्ता थी-एक उधारकर्ता के संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन निश्चित रूप से एक

सह-उधारकर्ता का निर्वहन नहीं कर सकता है-यदि दो उधारकर्ता हैं या यदि दो कॉर्पोरेट निकाय कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के दायरे में आते हैं, तो एस के तहत कार्यवाही का कोई कारण नहीं है।7 आई. बी. सी. की शुरुआत दोनों निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ नहीं की जा सकती है-दोनों निगमित ऋणदाताओं से एक ही राशि की वसूली नहीं की जा सकती है-यदि बकाया एक निगमित ऋणदाता से आंशिक रूप से प्राप्त किया जाता है, तो शेष राशि अन्य निगमित ऋणदाता से सह-उधारकर्ता के रूप में प्राप्त की जा सकती है-एक बार वित्तीय ऋणदाता के दावे का भुगतान हो जाने के बाद, दावे की दो बार वसूली का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

जी.

एच.

536

537

मैत्रेय दोशी बनाम आनंद राठी वैश्विक वित्त लिमिटेड और ए. एन. आर.

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.** प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि दोशी होल्डिंग्स ऋण लेने वाले और शेयरों को गिरवी रखने वाले की दोहरी क्षमता में ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते का एक पक्ष था। अपीलीय प्राधिकरण इस तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोशी होल्डिंग्स भी ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते के तहत एक उधारकर्ता है।अपीलीय प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष जो अंतिम तथ्य खोजने वाला प्राधिकरण था, इस अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। **[**पारस **32** और **33] [545-**सी-डी**]**

2. अपीलीय प्राधिकरण का यह निष्कर्ष कि दोशी होल्डिंग्स एक उधारकर्ता है, ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों और सहायक दस्तावेजों की इसकी व्याख्या पर आधारित है।अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई व्याख्या निश्चित रूप से एक संभावित व्याख्या है।व्याख्या एक प्रशंसनीय व्याख्या है जिसमें आई. बी. सी. की धारा **62** के तहत अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि क्षतिपूर्ति अनुबंध, गारंटी अनुबंध और प्रतिज्ञा एक ही

नहीं हैं।क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है।क्षतिपूर्ति के अनुबंध में, अपने अधिकार के दायरे में काम करने वाला एक वादा करने वाला वादा करने वाले से सभी नुकसान और सभी लागतों की वसूली करने का हकदार है जो वह वहन कर सकता है।दूसरी ओर, गारंटी का अनुबंध एक ऐसा वादा है जिसमें वचनदाता अपने चूक के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने का वादा करता है। जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे जमानतदार कहा जाता है।जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है, वह प्रमुख देनदार होता है और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है वह लेनदार होता है।प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी या किया गया कोई भी वादा गारंटी देने के लिए मुचलकेदार के लिए पर्याप्त विचार हो सकता है।दूसरी ओर, ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल की जमानत एक गिरवी है। **[**पारस **34** और **35] [545-**ई**-**एच**]**

जी.

3. निर्णय से जो कानून का प्रस्ताव उभरता है, वह यह है कि एक गिरवीदार स्वयं वित्तीय देनदार नहीं हो सकता है।हालाँकि, इस मामले में, अपीलीय प्राधिकरण एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचा कि दिशा होल्डिंग्स एक उधारकर्ता थी।ललित कुमार जैन बनाम यूनियन

एच.

538 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

ए.

भारत में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निगमित देनदार के संबंध में एक समाधान योजना की मंजूरी निगमित देनदार के गारंटर को निर्वहन नहीं करती है।तर्क की समानता पर, एक उधारकर्ता के संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन निश्चित रूप से एक सह-उधारकर्ता का निर्वहन नहीं कर सकता है।यदि दो उधारकर्ता हैं या यदि दो निगमित निकाय निगमित ऋणदाताओं के दायरे में आते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आई. बी. सी. की धारा **7** के तहत दोनों निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों कॉर्पोरेट ऋणदाताओं से समान राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है।यदि बकाया राशि एक कॉर्पोरेट देनदार से आंशिक रूप से वसूल की जाती है, तो शेष राशि दूसरे कॉर्पोरेट देनदार से सह-उधारकर्ता के रूप में वसूल की जा

सकती है।हालांकि, एक बार वित्तीय लेनदार के दावे का निपटारा हो जाने के बाद, दावे की दो बार वसूली का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।[पारस **36** और **37] [546-**बी-डी]

ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ **(2021) 9** एससीसी **321:**

2021 (5) जे**.** टी**. 545-**पर भरोसा किया।

अनुज जैन, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर

(2020) 8 एससीसी 401:[2020] 8 एससीआर 291; फीनिक्स एआरसी

प्रा**.** लि**.** बनामकेतुलभाई रामूभाई पटेल **(2021) 2** एससीसी

799 :2021 (2) जे. टी. 526; भारत बैरल एंड ड्रम

विनिर्माण कंपनी बनाम अमीन चंद पेरेलाल **(1999)**

3 एससीसी **35:[1999] 1** एस**.** सी**.** आर**. 704;** उपनिरीक्षक रूपलाल

& एक अन्य बनाम उपराज्यपाल और अन्य **(2000)**

1 एससीसी **644:[1999] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 310-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2020] 8 एससीआर **291**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14**

[1999] 1 एससीआर **704**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[1999] 5 पूरक।एससीआर **310**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 6613।

जी.

2021 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 191 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 25.08.2021 के निर्णय और आदेश से।

एच.

539

मैत्रेय दोशी बनाम आनंद राठी वैश्विक वित्त लिमिटेड और ए. एन. आर.

ए.

के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री धन्यश्री जडेजा, अंकित लोहिया, मानस कोटक, सुश्री कनिका टंडन, आर. वेंकटरमन, चाणक्य द्विवेदी, समीरन बोरकटकी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

प्रतीक सकसेरिया, साकेत मोने, विशेष कालरा, निशांत चोट्टानी, स्मृति चूड़ीवाल, जयवीर कांत, सुश्री प्रियश्री शर्मा पीएच., सुश्री रुशाली अग्रवाल, सैयद फराज आलम, कुश चतुर्वेदी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 62 के तहत यह अपील, जिसे इसके बाद 'आई. बी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा पारित 25 अगस्त 2021 के एक निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण), एन. सी. एल. टी., मुंबई पीठ द्वारा 19 फरवरी 2021 को पारित एक आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 191 को खारिज कर दिया गया है। मैसर्स दोशी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के लिए वित्तीय लेनदार के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1-आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर (आई. बी.) संख्या 1220/एम. बी. 2020, जिसे इसके बाद आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत "दोशी होल्डिंग्स" के रूप में संदर्भित किया गया है। अपीलार्थी दोशी होल्डिंग्स का निलंबित निदेशक है।

2. प्रत्यर्थी संख्या 1, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसे इसके बाद "वित्तीय लेनदार" के रूप में संदर्भित किया गया है, ने क्रमशः 29 जून 2015,4 मई 2016 और 5 अक्टूबर 2016 के तीन अलग-अलग ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के तहत मेसर्स प्रीमियर लिमिटेड को 6 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया, जिसे इसके बाद "प्रीमियर" के रूप में संदर्भित किया गया है।अपीलार्थी के अनुसार, दोशी होल्डिंग्स ने ऋण के लिए प्रतिभूति के माध्यम से वित्तीय लेनदार के पक्ष में प्रीमियर में अपने शेयरों को गिरवी रखा।

3. अपीलार्थी के अनुसार, ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों में एक दस्तावेज के तहत दो अलग-अलग लेन-देन पर विचार किया गया, अर्थात्, प्रधानमंत्री को ऋण का अनुदान, और प्रधानमंत्री में दोशी होल्डिंग्स द्वारा धारित प्रतिभूतियों के दोशी होल्डिंग्स द्वारा गिरवी का निर्माण।

जी.

4. प्रधानमंत्री ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के संदर्भ में पुनर्भुगतान करने में विफल रहे।इसलिए वित्तीय लेनदार ने प्रधानमंत्री से 28 जून, 2019 और 10 फरवरी, 2020 के बीच विभिन्न तिथियों पर अपने बकाया ₹360/- का भुगतान करने का आह्वान किया।

एच.

ए.

5. 14 फरवरी 2020 को एक संचार द्वारा, वित्तीय लेनदार ने प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स, जिन्हें ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के तहत उधारकर्ता के रूप में भी वर्णित किया गया है, से पूरी बकाया ऋण राशि का भुगतान करने का आह्वान किया।

6. 19 फरवरी 2020 के एक पत्र द्वारा, प्रीमियर ने ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के तहत वित्तीय लेनदार को अपने बकाया का भुगतान करने के अपने दायित्व को स्वीकार किया और कहा कि वह वास्तविक कठिनाई के कारण इसका भुगतान नहीं कर सकता है।

7. 21 सितंबर 2020 को, वित्तीय लेनदार ने आई. बी. सी. की धारा 7 सी. पी. (आई. बी.) No.1224/MB/2020 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें रुपये के पुनर्भुगतान में चूक के लिए प्रीमियर के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग की गई। 8,35,25,398/-।8. उसी दिन, वित्तीय लेनदार ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत

दोशी होल्डिंग्स के खिलाफ एक याचिका भी दायर की, जिसमें रुपये के समान दावे के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग की गई। समान ऋण दस्तावेजों के आधार पर 8,35,25,398/-।

9. वित्तीय लेनदार द्वारा दायर दोनों याचिकाओं की सुनवाई न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा एक साथ की गई थी।29 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।19 फरवरी 2021 को पारित एक अन्य आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने उसी ऋण दस्तावेजों से उत्पन्न ऋणों के उसी समूह के लिए दोशी होल्डिंग्स के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके संबंध में वित्तीय लेनदार ने प्रधान मंत्री के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की थी।

10. अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) में अपील दायर की। 25 अगस्त 2021 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने अपील को खारिज कर दिया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार करने के आदेश को बरकरार रखा।

11. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि वित्तीय लेनदार द्वारा दोशी होल्डिंग्स को ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के तहत कोई राशि वितरित नहीं की गई थी।वित्तीय लेनदार ने प्रधानमंत्री को ऋण प्रदान किया।ऋण प्रीमियर को वितरित किए गए थे।दोशी होल्डिंग्स ने ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा वितरित धन के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं किया।

जी.

12. श्री विश्वनाथन के अनुसार, ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते मानक रूप के समझौते थे जिनमें प्रधानमंत्री ए.

एच.

उधारकर्ता और दोशी गिरवीदार को धारण करते हैं।सुविधा के लिए, उधारकर्ता और गिरवीदार को सामूहिक रूप से उधारकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है और व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता या गिरवीदार के रूप में संदर्भित किया गया है।अपीलार्थी ने प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स की ओर से ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते और अन्य संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित किया, क्योंकि अपीलार्थी को स्वतंत्र रूप से और अलग से प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स द्वारा दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया था।तथ्य यह है कि दोशी होल्डिंग्स और प्रीमियर अलग-अलग संस्थाएं हैं।

13. श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि चूंकि धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ दोशी होल्डिंग्स को कोई संवितरण नहीं किया गया है, इसलिए दोशी होल्डिंग्स की ओर से वित्तीय लेनदार को कोई पुनर्भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है।इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के तहत दोशी होल्डिंग्स पर वित्तीय लेनदार का कोई वित्तीय ऋण बकाया नहीं था। जहाँ तक दोशी होल्डिंग्स का संबंध है, ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों ने केवल वित्तीय लेनदार के पक्ष में प्रीमियर में दोशी होल्डिंग्स के शेयरों की गिरवी रखी।निगमित देनदार के खिलाफ आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका स्पष्ट रूप से विचारणीय नहीं थी।14. अपने तर्क के समर्थन में श्री विश्वनाथन ने अनुज का हवाला दिया।

जैन**,** जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर।एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य **1,** जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:**-**

“46. .....संवितरण का आवश्यक तत्व, और वह भी धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध, संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर "वित्तीय ऋण" के रूप में माने जाने से पहले किसी भी ऋण की उत्पत्ति में पाया जाना चाहिए।

15. श्री विश्वनाथन ने आगे तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि दोशी होल्डिंग्स एक उधारकर्ता थी और इसलिए प्रधान मंत्री को ऋण वितरण के संबंध में पुनर्भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोशी होल्डिंग्स द्वारा ऋण का उपयोग कभी नहीं किया गया था।

16. श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि यह विवाद में नहीं है कि दोशी होल्डिंग्स को कोई राशि वितरित नहीं की गई थी।इस तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करने के बाद कि दोशी होल्डिंग्स को कोई राशि वितरित नहीं की गई थी, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण ने

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि दोशी होल्डिंग्स एक उधारकर्ता थी।आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका दोशी होल्डिंग्स के खिलाफ विचारणीय नहीं थी।

जी.

1 (2020) 8 एस. सी. सी. 401

एच.

17. श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण/अपीलीय प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में "वित्तीय ऋण" अभिव्यक्ति का गलत अर्थ निकाला और/या उक्त अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे को समझने में विफल रहा।आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा में गिरवी शामिल नहीं है।

18. श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में "क्षतिपूर्ति अनुबंध", "गारंटी अनुबंध" और "प्रतिज्ञा" को परिभाषित किया गया है।अभिव्यक्तियाँ अपने प्रभाव और निहितार्थ के संदर्भ में एक और दूसरे से अलग हैं और उनकी बराबरी नहीं की जा सकती है।अभिव्यक्तियों, क्षतिपूर्ति अनुबंध, गारंटी अनुबंध और प्रतिज्ञा के बीच अंतर करते हुए, श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि कॉर्पोरेट ऋणदाता के शेयरों की गिरवी का निर्माण आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के तहत गारंटी और/या क्षतिपूर्ति के बराबर नहीं है और न ही हो सकता है।

19. श्री विश्वनाथन ने फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। केतुलभाई

रामूभाई पटेल 2, जहाँ इस न्यायालय ने अनुज जैन (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जहां एक निगमित ऋणदाता ने केवल शेयरों को गिरवी रखकर प्रतिभूति बढ़ाई थी, वहां आवेदक (प्रतिवादी) प्रतिभूति के लिए सबसे अच्छा प्रतिभूत ऋणी होगा, लेकिन आई. बी. सी. की धारा 5 (7) और 5 (8) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार नहीं होगा।

20. श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते के तहत दोशी होल्डिंग्स को सह-उधारकर्ता/गारंटर के रूप में संदर्भित किया, जिससे एक गारंटर से गिरवीदार के दायित्व में अंतर की दृष्टि खो दी गई।

21. श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय प्राधिकरण यह समझने में विफल रहा कि एक वचन पत्र का निष्पादन इस धारणा को जन्म देता है कि इस तरह के वचन पत्र विचार द्वारा समर्थित है।हालाँकि, इस धारणा का खंडन किया जा सकता है।

22. श्री विश्वनाथन ने भारत बैरल एंड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम अमीन चंद पेरेलाल 3 का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने कहाः-

“12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न निर्णयों पर विचार करने पर, कानून की स्थिति जो उभरती है, वह यह है कि एक बार वचन पत्र के निष्पादन को स्वीकार कर लिया जाता है, धारा 118 (ए) के तहत यह धारणा उत्पन्न होगी कि यह विचार द्वारा समर्थित है। इस तरह की धारणा का खंडन किया जा सकता है।प्रतिवादी द्वारा विचार के अस्तित्व को साबित कर सकता है

जी.

2 (2021) 2 एससीसी 799 3 (1999) 3 एससीसी 35 ए

एच.

543

मैत्रेय दोशी बनाम आनंद राठी वैश्विक वित्त लिमिटेड और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे.]
ए.

एक संभावित रक्षा को बढ़ाना।यदि प्रतिवादी ने सबूत के प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन किया है जो दर्शाता है कि विचार का अस्तित्व असंभव या संदिग्ध था या वही अवैध था, तो दायित्व वादी पर स्थानांतरित हो जाएगा जो इसे तथ्य के रूप में साबित करने के लिए बाध्य होगा और साबित करने में विफल रहने पर उसे परक्राम्य लिखत के आधार पर राहत देने के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

23. श्री विश्वनाथन ने बताया कि समझौते में व्याख्या खंड में कहा गया है कि प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स को सामूहिक रूप से उधारकर्ता और व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता या गिरवीदार के रूप में संदर्भित किया गया था।श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि ऋणकर्ता और

प्रतिज्ञाकर्ता की अभिव्यक्तियों को ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते के तहत पक्षों के दायित्व के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

24. श्री विश्वनाथन ने अंततः तर्क दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 29 जनवरी 2021 को खुली अदालत में सुनाए गए अपने पहले के निष्कर्ष को नजरअंदाज करते हुए 19 फरवरी 2021 को अपना आदेश पारित किया था, जो इस प्रकार हैः-

" 25 .....हालांकि, धारा 7 के तहत, यदि प्रीमियर लिमिटेड (यहां कॉर्पोरेट देनदार) के खिलाफ दावा "स्वीकार" किया जाता है, तो उसी ऋण दस्तावेजों के तहत उत्पन्न होने वाले ऋणों के उसी सेट के लिए, दोशी के खिलाफ वही ऋण/दावा स्वीकार्य नहीं होगा।"

25. श्री विश्वनाथन ने कहा कि प्रवेश का आदेश न्यायिक अनुशासन के विपरीत है।इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए

उप-निरीक्षक रूपलाल और एक अन्य बनाम उपराज्यपाल और

अन्य 4, श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि इस मामले में, यदि कोई हो, तो पीठ के सदस्य की राय थी कि उसी पीठ के किसी अन्य सदस्य द्वारा पहले लिया गया विचार गलत था, इस मामले को मतभेद से बचने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए था।

26. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक सकसेरिया ने प्रस्तुत किया कि दोशी होल्डिंग्स सह-उधारकर्ता और गिरवीदार के रूप में अपनी दोहरी क्षमता में ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों का पक्षकार था, जिसने वित्तीय लेनदार के पक्ष में प्रीमियर में अपने शेयरों को गिरवी रखा था।श्री सकसेरिया ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अपीलार्थी ने सह-उधारकर्ता के रूप में दोशी होल्डिंग्स की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।अपीलकर्ता प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स दोनों के निदेशक थे।

27. श्री सकसेरिया ने निम्नलिखित दस्तावेजों का उल्लेख किया:-

(i) 27 जून 2015,4 मई 2016 और 5 अक्टूबर 2016 का मंजूरी पत्र।

((ii) 29 जून, 2015 का ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौता।(iii) दिनांक 4 मई 2016 का ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौता।(iv) दिनांक 5 अक्टूबर 2016 का ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौता।(v) रुपये 6,00,00,000/- की रसीद स्वीकार करने वाली ऋण रसीदें।(vi) वित्तीय लेनदार को भुगतान करने का वादा करते हुए बिना शर्त वचन पत्र की मांग करें।

28. श्री सकसेरिया ने बताया कि ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों में प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स दोनों को उधारकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है।श्री सकसेरिया ने यह भी बताया कि दोशी होल्डिंग्स ने ऋण प्राप्तियों को निष्पादित करके तीन ऋण समझौतों के तहत वितरित धन की प्राप्ति को स्वीकार किया था।दोशी होल्डिंग्स ने वित्तीय लेनदार को ऋण चुकाने का वादा करते हुए बिना शर्त मांग वचन पत्र भी जारी किया था।ऋण समझौतों, प्राप्तियों और मांग वचन पत्रों पर अपीलार्थी द्वारा दोशी होल्डिंग्स और प्रीमियर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेशक के रूप में हस्ताक्षर किए गए हैं।प्रीमियर द्वारा ऋण के भुगतान में चूक करने के बाद, दोशी होल्डिंग्स को सह-उधारकर्ता के रूप में अपनी क्षमता में ऋण चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था।

29. श्री सकसेरिया ने तर्क दिया कि वित्तीय ऋण की परिभाषा में धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण पर विचार किया गया है, न कि कॉर्पोरेट देनदार को आवश्यक रूप से संवितरण।अन्यथा, गारंटी के तहत देय राशि को कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता था क्योंकि राशि कभी भी गारंटर को वितरित नहीं की जाती है, लेकिन वह दूसरे के ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।

30. श्री सकसेरिया ने आगे तर्क दिया कि निगमित ऋणदाता की परिभाषा में पूर्व शर्त के रूप में यह आवश्यक नहीं है कि धन निगमित ऋणदाता को वितरित किया जाना चाहिए था। किसी संस्था के लिए निगमित देनदार माने जाने की अनिवार्य शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति/संस्था को किसी भी व्यक्ति का ऋण देना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति/संस्था को ऋण का भुगतान करना चाहिए।

जी.

31. श्री सकसेरिया ने प्रस्तुत किया कि दोशी होल्डिंग्स उपरोक्त मानदंडों को पूरा करती है क्योंकि यह ऋण समझौते के संदर्भ में एक सह-उधारकर्ता है जिसके तहत दोनों प्रमुख ए द्वारा धन उधार लिया गया है।

एच.

545

मैत्रेय दोशी बनाम आनंद राठी वैश्विक वित्त लिमिटेड और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे.]
ए.

और दोशी होल्डिंग्स।प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स दोनों ने ऋण राशि की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए ऋण प्राप्तियों को निष्पादित किया है और प्राप्त मूल्य के लिए वित्तीय लेनदार को उधार लिए गए धन का भुगतान करने का वादा करते हुए बिना शर्त वचन पत्र की मांग की है।

32. केवल यह तथ्य कि यह भी एक गिरवीदार है, पूरी तरह से अप्रासंगिक है और किसी भी तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 को ऐसे सह-उधारकर्ता के खिलाफ आईबीसी की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है।33. यह विवाद में नहीं है कि वित्तीय लेनदार ने प्रीमियर और दोशी होल्डिंग्स दोनों द्वारा निष्पादित ऊपर उल्लिखित ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों के अनुसार प्रीमियर को रु. 1,000/- का ऋण वितरित किया।दोशी होल्डिंग्स को समझौते में उधारकर्ता और गिरवीदार के रूप में संदर्भित किया गया है।प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि दोशी होल्डिंग्स ऋण लेने वाले और शेयरों को गिरवी रखने वाले की दोहरी क्षमता में ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते का एक पक्ष था।अपीलीय प्राधिकरण इस तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दोशी होल्डिंग्स भी ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौते के तहत एक उधारकर्ता है।अपीलीय प्राधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष जो अंतिम तथ्य खोजने वाला प्राधिकरण था, इस अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

34. अपीलीय प्राधिकरण का यह निष्कर्ष कि दोशी होल्डिंग्स एक उधारकर्ता है, ऋण-सह-प्रतिज्ञा समझौतों और सहायक दस्तावेजों की इसकी व्याख्या पर आधारित है।अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दी गई व्याख्या निश्चित रूप से एक संभावित व्याख्या है।हमारे विचार में, व्याख्या एक प्रशंसनीय व्याख्या है जिसमें आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

35. यह सच है, जैसा कि श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध, गारंटी का अनुबंध और प्रतिज्ञा एक ही नहीं हैं।क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है।क्षतिपूर्ति के अनुबंध में, अपने अधिकार के दायरे में काम करने वाला एक वादा करने वाला वादा करने वाले से सभी नुकसान और सभी लागतों की वसूली करने का हकदार है जो वह वहन कर सकता है।दूसरी ओर, गारंटी का अनुबंध एक ऐसा वादा है जिसमें वचनदाता अपने चूक के मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने का वादा करता है।जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे जमानतदार कहा जाता है।जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है, वह प्रमुख देनदार होता है और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है वह लेनदार होता है।प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी या किया गया कोई भी वादा गारंटी देने के लिए मुचलकेदार के लिए पर्याप्त विचार हो सकता है।

दूसरी ओर, ऋण के भुगतान या वादे के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल की जमानत एक गिरवी है।

36. निर्णय से जो कानून का प्रस्ताव उभरता है, वह यह है कि एक गिरवीदार स्वयं वित्तीय देनदार नहीं हो सकता है।हालाँकि, इस मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलीय प्राधिकरण एक तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचा कि दिशा होल्डिंग्स एक उधारकर्ता थी।ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ 5 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निगमित ऋणदाता के संबंध में समाधान योजना की मंजूरी निगमित ऋणदाता के गारंटर को मुक्त नहीं करती है।तर्क की समानता पर, एक उधारकर्ता के संबंध में एक प्रस्ताव का अनुमोदन निश्चित रूप से एक सह-उधारकर्ता का निर्वहन नहीं कर सकता है।37. यदि दो उधारकर्ता हैं या यदि दो निगमित निकाय निगमित ऋणदाताओं के दायरे में आते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत दोनों निगमित ऋणदाताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों कॉर्पोरेट ऋणदाताओं से समान राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है।यदि बकाया राशि एक कॉर्पोरेट देनदार से आंशिक रूप से वसूल की जाती है, तो शेष राशि दूसरे कॉर्पोरेट देनदार से सह-उधारकर्ता के रूप में

वसूल की जा सकती है।हालांकि, एक बार वित्तीय लेनदार के दावे का निपटारा हो जाने के बाद, दावे की दो बार वसूली का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

38. हम अपीलीय प्राधिकरण के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

जी.

5 (2021) 9 एस. सी. सी. 321

एच.